



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-31082026-275872
CG-TL-E-31082026-275872

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4597]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2026/भाद्र 5, 1948

No. 4597]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2026/BHADRA 5, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4782(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), की धारा 20ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी तथा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), में 10 अप्रैल, 2026 को प्रकाशित भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), दिनांक 09 अप्रैल, 2026 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित का.सं. 1782 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्थात् तेलंगाना राज्य के मंचेर्याल जिले के अकेनीपल्ली गांव और बेल्लमपल्ली मंडल में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् 3000एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी के कर्षण प्रणाली में उन्नयन कार्य – बल्हारशाह-रामगुंडम सेक्शन में बेल्लमपल्ली टीएसएस का निर्माण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और जबकि, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक समाचारपत्रों, “एबीएन आंध्र ज्योती (तेलुगु)”, “साक्षी (तेलुगु)”, और “डेक्कन क्रॉनिकल (अंग्रेजी)” में 15 अप्रैल, 2026 को मोतीलाल भूक्या, मुख्य इंजीनियर, निर्माण- II, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद के अनुमोदन से प्रकाशित किया गया था;

और, जबकि, कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई थीं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया तथा उन्हें अस्वीकृत कर तदनुसार आदेश पारित किए गए हैं और, जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और, आगे, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्र सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी.

अनुसूची

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य- तेलंगाना राज्य के मंचेर्याल जिले के अकेनीपल्ली गांव और बेल्लमपल्ली मंडल के भूमि का बल्हारशाह-रामगुंडम सेक्शन में बेल्लमपल्ली टीएसएस का निर्माण

गांव :: अकेनपल्ली				मंडल : बेल्लमपल्ली			जिला : मंचेर्याल		
क्र. सं.	एसडीआर के अनुसार सर्वेक्षण सं.	भूभारती पहानी के अनुसार सर्वेक्षण सं.	टाइटल का प्रकार	भूमि का प्रकार	अधिग्रहण के अधीन क्षेत्र एकड़ गुंटा में	असाइन किए गए / पट्टादार और कल्टीवेटर या इच्छुक व्यक्ति का नाम	सीमाएं	पेड	संरचनाएं
1	3/20/2	3भाग अ 5/1	असैन्ड भूमि	शुष्क	1.2280	श्री कनुकुंटला लक्ष्मीराजम पुत्र लिंगय्या	पूर्व -रेलवे ट्रैक पश्चिम-एनएच-363 उत्तर-चितला भूमय्या का घर दक्षिण- कनुकुंटला वेणुगोपाल	फसल	--
2	3/20/2	3भाग ए4	असैन्ड भूमि	शुष्क	0.2020	श्री कनुकुंटला वेणुगोपाल सुपुत्र लिंगय्या (पट्टेदार)	पूर्व -रेलवे ट्रैक पश्चिम -एनएच-363 उत्तर - कनुकुंटला लक्ष्मीराजम एस-खाली जगह	--	--
						1. बुक्क्या लक्ष्मी पत्नी रवि (एंजॉयर)			अस्थायी टिन शेड
						2. आदिचेर्ला राममूर्ती (एंजॉयर)			--
						3. कुनसोथ गामानी पत्नी चेथरू (एंजॉयर)			--
						4. ओडुडी महेश पुत्र शंकर (एंजॉयर)			--
						5. नागेल्ली श्रुति पत्नी श्रीनिवास (एंजॉयर)			--

						6. वेंकटेश (एन्जॉयर)			--
						7. किरण प्रसाद (एन्जॉयर)			--
3	3/20/2		सरकारी भूमि	शुष्क	0.10	--	--	(13) नीम (1) खजूर	--
कुल क्षेत्र एकड़-गुंटा में					2.13				

[फा. सं. W.Con/182/SRP/TSS/BPA/20E]

मोतीलाल भूक्या, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 24th August, 2026

S.O. 4782(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 1851(E), dated the 09.04.2026, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), gazette No.1782 dated the 10.04.2026 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the Purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, “Construction of Bellampalli TSS in Balharshah-Ramagundam section for up-gradation work of Electric Traction System from 1x25KV to 2x25 KV traction system to meet 3000MT loading target ” in Akenipalli Village & Bellampalli Mandal in Mancherial District in the state of Telangana.

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers namely the “ABN Andhra Jyothi (Telugu)”, “Sakshi (Telugu)”, “Deccan chronicle (English) and “Hindi Milap(Hindi)” dated 15th April, 2026 with the approval of Mothilal Bhokya, Chief Engineer/Con-II, South Central Railway, Secunderabad.

And, whereas, NO objections were received and same have been considered and disallowed by the Competent Authority and accordingly orders have been passed And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: Construction of Bellampalli TSS in Balharshah-Ramagundam section for up-gradation work of Electric Traction System from 1x25KV to 2x25 KV traction system to meet 3000MT loading target” in Akenipalli Village & Bellampalli Mandal in Mancherial District in the state of Telangana.

Village:: Akenpalli				Mandal: Bellampally			District: Mancherial		
S. No	Sy.No as per SDR	Sy.No as per Bhubara thi Pahani	Type of Tittle	Type of Land	Area under Acquisition in Ac. Gts.	Name of the Assigned / Pattadar and Cultivator or Interested person	Boundaries	Trees	Structures
1	3/20/2	3paikiA A5/1	Assigned Land	Dry	1.2280	Sri.Kanukuntla Laxmirajam S/o Lingaiah	E-Railway Track W-NH-363 N-Chinthala Bhumaiah House S- Kanukuntla Venugopal	Crop	--
2	3/20/2	3PaikiA 4	Assigned Land	Dry	0.2020	Sri.Kanukuntla Venugopal S/o Lingaiah (Pattedar)	E-Railway Track W-NH-363 N- Kanukuntla Laxmirajam S- Vacant Land	--	--
						1.Bukkya Laxmi W/o Ravi(Enjoyer)			Temporary tin Shed
						2.Adicherla Rammurthy (Enjoyer)			--
						3.Kunsoth Gamani W/o Chethru (Enjoyer)			--
						4.Oddi Mahesh S/o Shankar (Enjoyer)			--
						5.Nagelli Shruthi W/o Srinivas (Enjoyer)			--
						6.Venkatesh (Enjoyer)			--
						7.Kiran Prasad (Enjoyer)			--
3	3/20/2		Govt. land	Dry	0.10	--	--	(13) Neem (1) Date Palm	--
Total Extent in Ac-Gts					2.13				

[F. No. W.Con/182/SRP/TSS/BPA/20E]

MOTHILAL BHOOKYA, Chief Engineer/Con-II